Indian J. Soc. & Pol. 07 (01):67-68:2020 **ISSN: 2348-0084(P)**
ISSN: 2455-2127(O)

उ0प्र0 की प्रथम संविद सरकार के मंत्रिमंडल का स्वरूप एवं सरकार की प्राथमिकतायें

उमेश चन्द्र पाण्डेय[1]

[1]असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान, जनता पी जी कालेज रानीपुर मऊ, उ0प्र0, भारत

ABSTRACT

प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद एक संवैधानिक पद हैं। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल का प्रधान और राज्य प्रशासन का प्रमुख नेता होता है। चूंकि संविधान ने मंत्रिमंडल को विधानसभा के प्रति उत्तरदायी बनाया है। इसलिए मंत्रिमंडल के निर्माता मुख्यमंत्री को राज्य विधान सभा का विश्वास प्राप्त होना चाहिए। यह तभी सम्भव है, जब ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाए, जिसको विधानसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त हो। इसलिए मुख्यमंत्री का चयन राज्यपाल के विशेषाधिकार में से एक है। मुख्यमंत्री के चयन में उस समय कोई कठिनाई नहीं होती, जब विधानसभा में बहुमत दल ने अपना नेता सर्वसम्मति से चुन लिया हो। परन्तु जब कि विधान सभा में किसी एक दल को बहुमत न प्राप्त हो, और कोई भी दल स्पष्ट रूप से सरकार बना पाने में समर्थ न दिखता हो तब राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। संविद सरकारें बनती हैं और मुख्यमंत्री का पद केवल मंत्रिपरिषद में प्रधान का ही नहीं वरन संयोजक का भी हो जाता है। जहां उसे ढेर सारी समस्याओं का सामना करना होता है। मंत्रिमंडल का गठन किस प्रकार किया जाय और कैसे अपने विविध विचारधाराओं के प्रति प्रतिवद्ध अपने सहयोगियों के बीच समन्वय स्थापित किया जाय , यह मुख्यमंत्री के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रस्तुत शोध पत्र में ऐसे ही एक मसले पर दृष्टिपात किया गया है जिसका सन्दर्भ उ0प्र0 के प्रथम संविद मंत्रिमंडल से है जिसका नेतृत्व चौधरी चरण सिंह ने किया था।

KEY WORDS: *संविधान,मुख्यमंत्री, संविद सरकारें, मंत्रिमंडल*

प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद एक संवैधानिक पद हैं। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल का प्रधान और राज्य प्रशासन का प्रमुख नेता होता है। चूंकि संविधान ने मंत्रिमंडल को विधानसभा के प्रति उत्तरदायी बनाया है। इसलिए मंत्रिमंडल के निर्माता मुख्यमंत्री को राज्य विधान सभा का विश्वास प्राप्त होना चाहिए। यह तभी सम्भव है, जब ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाए, जिसको विधानसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त हो। इसलिए मुख्यमंत्री का चयन राज्यपाल के विशेषाधिकार में से एक है। मुख्यमंत्री के चयन में उस समय कोई कठिनाई नहीं होती, जब विधानसभा में बहुमत दल ने अपना नेता सर्वसम्मति से चुन लिया हो।

राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल करता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधान सभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री और मंत्री नियुक्त किया जा सकता है (परन्तु उसे विधानसभा का विश्वास प्राप्त होना चाहिए)। किन्तु वह लगातार छः मास की अवधि तक राज्यविधान मंडल का सदस्य नहीं रहता तो वह मुख्यमंत्री एवं मंत्री नहीं रहेगा। मंत्री के वेतन और भत्ते विधानमंडल द्वारा बनायी जायेगी। विधि द्वारा निर्धारित होते हैं।[1] साधारणतया राज्यपाल और उसके मंत्रियों के बीच सम्बन्ध उसी प्रकार के हैं, जैसे– राष्ट्रपति और उसके मंत्रियों के। इसमें यह महत्वपूर्ण अन्तर यह है कि संविधान राष्ट्रपति को कोई कार्य अपने विवेकानुसार करने की शक्ति नहीं देता है, किन्तु राज्यपाल को कुछ कृत्य अपने विवेकानुसार करने का अधिकार प्राप्त है। इस सम्बन्ध में राज्य मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्व का सिद्धान्त संघ से भिन्न है।[2]

मंत्रिमंडल के गठन का आधार

गैर कांग्रेसी सरकार में चौ0 चरण सिंह, मुख्यमंत्री बने। प्रथम संविद सरकार में मुख्यमंत्री बनने के बाद चरण सिंह के सामने मुख्य समस्या अपने सहयोगी मंत्रियों के चयन की थी। सभी सहयोगी दल अधिक से अधिक विधायकों को सरकार में मंत्री बनवाना चाहते थे। मुख्यमंत्री के ऊपर सहयोयिों का दबाव बढ़ रहा था। सबसे अधिक दबाव जनसंघ, कम्युनिस्ट और निर्दल विधायकों का था। संविद के सभी विधायक मंत्री बनने का ख्वाब संजोये थे। मुख्यमंत्री ने अपने अनुभव और चतुराई का प्रयोग किया। उन्होंने सभी सहयोगी दलों से एक सूची माँगी। सहयोगी दलों की सूची मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने निम्नलिखित बातों का ध्यान रखकर मंत्रिमंडल का गठन किया।

1–मंत्रिमंडल में लिए जाने वाले विभिन्न दलों के लोगों की शैक्षिक योग्यता तथा प्रशासकीय अनुभव।

2–मुख्यमंत्री द्वारा स्वविवेक से लिया गया निर्णय।

3–सहयोगी दलों के विधायकों की संख्या।[3]

मंत्रिमंडल के गठन में सहयोगी दलों के हितों एवं असंतोष का ध्यान रखा गया था। अन्ततः मंत्रिमंडल के गठन से कोई दस असंतुष्ट नहीं था। मंत्रिमंडल के गठन के पूर्व सभी सहयोगी ईकाइयों की एक अहम बैठक कर निर्णय लिया गया था। समन्वय समिति ने विभागों के बंटवारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी।[4] मुख्यमंत्री ने भी संविद मंत्रिमंडल का गठन करने में सूझ–बूझ एवं परिस्थितियों का गम्भीर अध्ययन करके अन्तिम निर्णय लिया गया था। संविद के सहयोगी दल भी यह नहीं चाहते थे कि हमारे फूट और विवाद का कोई लाभ विरोधियों को मिले। चौ0 चरण सिंह मंत्रिमंडल में अन्ततः कोई फेसला करने में परेशानी नहीं हुई। मुख्यमंत्री को लेकर मंत्रियों की कुल सं0 28 थी।

लगभग सभी सहयोगी दलों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। कम्युनिस्ट (मार्क्स) का एक विधायक ही चतुर्थ आम चुनाव सन् 1967 ई0 में जीतकर आया था, उसे प्रथम संविद सरकार के मंत्रिमंडल

1: Corresponding Author

में जगह नहीं दी गयी। भारतीय क्रांति दल जो कांग्रेस पार्टी से टूटकर आये थे, उन्हें सबसे अधिक मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिला था।

उत्तर प्रदेश में 6 अप्रैल 1967 ई0 को चौ0 चरण सिंह के नेतृत्व में बनी संयुक्त मोर्चे की गैर कांग्रेसी संविद सरकार राज्य के लिए प्रथम नया अनुभव था। मंत्रिमंडल में दल बदलुओं (जनकांग्रेस) को अधिक मात्रा में स्थान दिया गया था।[5] संविद की सबसे बड़ी इकाई जनसंघ को मंत्रिमंडल में केवल 8 सदस्यों से ही संतोष करना पड़ा। जनसंघ का यह प्रतिनिधित्व विधानसभा में उसकी संख्या का केवल $8^{8}/_{49}$ प्रतिशत ही था। जनसंघ को वैसे संख्या के आधार पर बहुत कम महत्व मिला, विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल कराने में। कुल 28 मंत्रियों में से दल–बदलुओं की संख्या–7 थी। प्रथम संविदसरकार में जाति के आधार पर मंत्रियों में अनुसूचित जाति को 11.11 प्रतिशत स्थान दिया गया था तथा पिछड़ी जातियों को संविद सरकार के मंत्रिपरिषद में सबसे अधिक महत्व दिया गया था। इनका प्रतिनिधित्व 29.63 प्रतिशत रहा। ब्राह्मण और क्षत्रिय को बराबर का प्रतिनिधित्व दिया गया था। संविद सरकार में मुस्लिम वर्ग को भी विधायकों की संख्या के आधार पर मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया था। मंत्रिमंडल में सभी वर्गो और धर्मो के आधार पर प्रतिनिधित्व देने की कोशिश संविद सरकार ने की थी। संविद सरकार इसमें सफल भी रही।

प्रथम संविद सरकार की प्राथमिकताऐं

संविद सरकार के गठन के पूर्व ही सभी सहयोगी दलों ने बनने वाली सरकार के कार्यों और नीतियों पर चर्चा कर ली थी, सहयोगी दल जनसंघ ने कहा था कि गैर कांग्रेसी यह प्रथम संविद सरकार ऐसी होनी चाहिए, जिससे जनता में खुशहाली दिखायी दें। समाज में भय और भ्रष्टाचार की समाप्ति हो। उनका कहना था कि जैसा कि बिहार में 33 सूत्रीय और पंजाब में 11 सूत्रीय न्यूनतम सामान्य कार्यक्रम के आधार पर सरकार चल रही थी, उत्तर प्रदेश में भी वैसे ही एक न्यूनतम सामान्य कार्यक्रम निर्धारित किया जाए, जिसमें सभी सहयोगी दल अपनी सहमति प्रदान करें।

चौ0 चरण सिंह ने भी राज्य में एक पारदर्शी सरकार बनाने की वकालत की। उनका कहना था कि इस सरकार में किसानों का हित, भ्रष्ट्राचार की समाप्ति, कुशल प्रशासन और गरीबी को समाप्त करना सरकार की सर्वप्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए, वे भी न्यूनतम सामान्य कार्यक्रम के पक्षधर थे। इसी प्रकार अन्य सहयोगी दल भी सरकार की प्राथमिकताओं को जनता के बीच जल्द से जल्द बताने की वकालत करने लगे।[6]

संविद के सभी सहयोगी दल एक बैठक कर संविद सरकार की प्राथमिकताओं पर चर्चा किये। सभी सहयोगी दलों के आदर्श और नीतियाँ सरकार की प्राथमिकताऐं तैयार करने में विघ्न पैदा कर रही थी। सहयोगी दल अपने–अपने घोषणा–पत्र के आधार पर सरकार की प्राथमिकताऐं तैयार करने पर जोर दे रहे थे। फिर भी सभी सहयोगी दल जनता के बीच संविद सरकार ऐसी चलाना चाहते थे, जिससे जनता संविद सरकार से प्रसन्न रहे सके। समाज से भय को समाप्त किया जा सके। सहयोगी दलों की बैठक में कुछ बातें जो सर्वसम्मति से सभी दल सरकार की प्राथमिकताओं में कही थी, वे निम्नलिखित हैं :–

1–नौकरशाह में व्याप्त भ्रष्टाचार को अविलम्ब समाप्त किया जायेगा।

2–प्रशासन और संविद के सहयोगी दलों में अनुशासन बनाये रखा जायेगा।

3–जनता में व्याप्त भय को समाप्त कर कानूनों का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटा जायेगा।

4–जनता को हर प्रकार से स्वच्छ और कुशल प्रशासन दिया जायेगा।

5–राजकाज के कार्यों से अंग्रेजी को समाप्त किया जायेगा।

6–किसानों के लिए बिजली और सिंचाई की समुचित व्यवस्था की जायेगी, ताकि जनता को इससे लाभ मिल सके।

7–वस्तुओं तथा खाद्य पदार्थों के बढ़ते हुए मूल्यों पर अविलम्ब लगाम लगायी जायेगी।

8–शिक्षित नौजवानों के लिए नौकरी की व्यवस्था की जायेगी।

9–ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क का निर्माण कराया जायेगा।

10–गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को विशेष लाभ दिया जायेगा।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम लागू करने में ऐसी ही कुछ प्राथमिकताऐं थी, जो जिस कारण संविद के सहयोगी दलों में मतभेद नहीं था। इस प्रकार संविद के सभी सहयोगी दलों ने मिलकर एक "न्यूनतम सामान्य कार्यक्रम" घोषित किया जो उ0प्र0 की जनता के लिए खुशहाली का रूप था। उ0प्र0 में संविद के नेताओं ने 19 सूत्रीय न्यूनतम सामान्य कार्यक्रम प्रस्तुत किया।

प्रथम संविद सरकार के गठन के उपरान्त संविद को सुचारू रूप से राज्य में चलते रहने देना भी इस सरकार की प्राथमिकता थी। सहयोगी दलों को पता था कि राज्य में बार–बार चुनाव होने पर अतिरिक्त भार जनता पर ही पड़ता है। संविद के मंत्रिमंडल के कम से कम विधायकों को शामिल करने की प्राथमिकता पर जोर दे रहे थे। उनका सोचना था कि बड़ा मंत्रिमंडल होने पर जनता के बीच गलत संदेश जायेगा। कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा मुद्दा मिल जायेगा कि सभी दलों को खुश करने के लिए इन्होंने बड़ा मंत्रिमंडल का निर्माण किया है। संविद के प्रमुख नेताओं ने कहा कि मंत्रियों के जीवन और खर्च को सादा बनाया जायेगा। किसी भी मंत्री का वेतन 500 रुपये से अधिक न होगा। सरकारी अनावश्यक खर्च कम किया जायेगा। सभी मंत्री अपने–अपने विभागों के किये गये कार्यों के प्रति उत्तरदायी होंगे।

इस प्रकार 19 सूत्रीय "न्यूनतम सामान्य कार्यक्रम" सहयोगी दलों के सहमति के उपरान्त संविद सरकार की प्रमुख प्राथमिकता रही। संविद सरकार के गठन पर कांग्रेस पार्टी का कहना था कि वे अपने आदर्शो और नीतियों के विरूद्ध है। यह सरकार अपने ही कर्मो से गिर जायेगी। इनका कहना था कि संविद सरकार का भविष्य अच्छा नहीं होता है।

REFERENCES

बसु, दुर्गादास,(1998) *भारतीय संविधान एक परिचय*
पाण्डेय,यू0सी0 *उ0प्र0 में संविद सरकारों का एक अध्ययन*
मलिक, सत्यपाल : *भारतीय राजनीति और राजनीतिक दल*
नरायन, इकबाल : *स्टेट पालिटिक्स इन इंडिया (उ0प्र0)*